न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–08 / 2024

सैबुन निशा

बनाम्

मुर्शीद मिंया

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया आवेदिका सैबुन निशा, पति–शमीम, सा0–ईटके, पो0–बारिखाप, थाना–बारियातु, जिला–लातेहार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार न्यायालय के वाद संख्या–18 / 2023 में दिनांक–15.09.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध Bihar Tenant Holding Maintenance of record Act की धारा 16 के तहत् दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। वाद की कार्यवाही के क्रम में अपीलार्थी द्वारा संशोधित आवेदन दाखिल कर मुर्शीद मिंया, पे0–शोएब अखतर, ग्राम–ईटके, पो0–बारीकाप, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकृत करते हुए स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में अपने–अप दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम–ईटके, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के खाता संख्या–70, प्लॉट–506

रकबा–0.05 ए0 प्लॉट–504 रकबा–0.07 ए0, प्लॉट–199 रकबा–0.05 ए0, प्लॉट–483 रकबा–0.15 ए0, प्लॉट–277 रकबा–0.06 $\frac{1}{2}$ ए0, प्लॉट–234 रकबा–0.05 ए0, प्लॉट–846 रकबा–0.02 ए0, प्लॉट–955 रकबा–0.06$\frac{2}{3}$ ए0, कुल रकबा–52$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि मो0 सुलेमान वो मो0 ऐनुल हक वो मो0 अनवर मिंया एवं अनिशा खातुन जो आपस में सगे भाई–बहन हैं उनसे निबंधित बक्सीसनामा संख्या–684/2022 से प्राप्त है। अपीलार्थी खरीदगी के समय से उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में है। अपीलार्थी अपने खरीदगी भूमि का दाखिल खारिज के लिए अंचल अधिकारी, बारियातु के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया, जिसका दाखिल–खारिज संख्या–27R27/2022–23 प्रारम्भ किया गया। उक्त दाखिल–खारिज को मो0 मुर्शीद मिंया के आपत्ति पर अस्वीकृत कर दिया गया, जिसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि अपीलार्थी उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में है। अंचल अधिकारी, बारियातु द्वारा अस्वीकृत किए गये दाखिल–खारिज करने के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या–18/2023 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा भी अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा आदेश पारित करते समय दाखिल–खारिज अधिनियम एवं मुस्लिम कानून का अध्ययन नहीं किया गया। अपील वाद संख्या–18/2023 की कार्यवाही के क्रम में दिनांक–08.09.2023 एवं दिनांक–15.09.2023

को अंचल अधिकारी, बारियातु से दाखिल–खारिज संख्या–27R27/2022–23 का अभिलेख की मांग की गयी, परन्तु अभिलेख प्राप्त किये बिना ही दिनांक–15.09.2023 को आदेश पारित कर दिया गया। अपील वाद की कार्यवाही के क्रम में अपीलार्थी हर दिन उपस्थित रहे हैं, परन्तु बिना बहस सुने ही आदेश पारित कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा–122 का उपयोग किया गया है। मुस्लिम वादों की कार्यवाही मुस्लिम अधिनियम के तहत् की जाती है। मुस्लिम अधिनियम की धारा–138 के अनुसार किसी भी भूमि को तौफा देने में बटवारा की आवश्यकता नहीं है। इस बात का गलत उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी का निबंधित बक्सीसनामा विलेख स्वीकार्य योग्य नहीं है, जबकि निबंधित बक्सीसनामा विलेख की वैधता पर टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आपत्तिकर्त्ता मो0 मुर्शीद मिंया द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किये गये बक्सीसनामा विलेख को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिया गया है। अंचल अधिकारी, बारियातु एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा मो0 मुर्शीद मिंया के ब्यान को सही माना गया कि भूमि का बटवारा नहीं हुआ है, तो मो0 मुर्शीद मिंया के द्वारा विक्रय अभिलेख संख्या–270 से क्रय भूमि खाता संख्या–70, का दाखिल खारिज वाद संख्या–465R27/2019–20 को कैसे स्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी को अपने भाई–बहन से बक्सीसनामा विलेख द्वारा भूमि प्राप्त है तथा सभी रैय्यतो के बीच मौखिक बटवारा हुआ है। मो0

मुर्शीद को भी निबंधित विक्रय विलेख से भूमि प्राप्त है। एक तरफ अपीलार्थी के दाखिल–खारिज को अस्वीकृत किया गया एवं दूसरी तरफ मो0 मुर्शीद के दाखिल–खारिज को स्वीकार कर लिया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, बारियातु एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा अपीलार्थी के साथ पक्षपात किया गया।

वादग्रस्त भूमि के खतियानी रैयत का नाम युसुफ खान है, जिनकी बेटी का नाम जमीला खातुन है। जमीला खातुन को पिता के भूमि से हिस्से में प्राप्त भूमि को उनके मृत्यु के बाद तीन पुत्र एवं एक पुत्री द्वारा अपने हिस्से की भूमि को अपीलार्थी को बक्सीसनामा विलेख द्वारा दिया गया है, जिसका वे कानूनी हकदार है। मुस्लिम कानून के अनुसार अपीलार्थी को भूमि प्राप्त है। उक्त आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या–18/2023 में दिनांक–15.09.2023 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या–18/2023 में दिनांक–15.09.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया। सैबुन निशा द्वारा अंचल अधिकारी, बारियातु के समक्ष नामान्तरण वाद संख्या–27R27/2022–23 दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, बारियातु द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक–28.07.2022 को दाखिल–खारिज को अस्वीकृत कर दिया गया। अंचल अधिकारी, बारियातु के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी

द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या–18/2023 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा दिनांक–15.09.2023 को अंचल अधिकारी, बारियातु के पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के दाखिल–खारिज अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सैबुन निशा द्वारा बक्सीसनामा से वादग्रस्त भूमि का क्रय किया गया है, जिसके निबंधित दस्तावेज में उल्लेखित वंशावली को मिलान करने पर भिन्नता पायी जाती है। चूकि अपील आवेदन में सिर्फ चार व्यक्ति का हीं वंशावली है और निबंधित दस्तावेज में चारों व्यक्तियों के सभी वारिशानों का नाम छुटा हुआ है, जो अधुरा वंशावली की पुष्टि करता है। निबंधित दस्तावेज में आपत्तिकर्त्ता (मुर्शीद मियां) भूमि बक्सीसकर्त्ता एवं भूमि प्राप्तकर्त्ता के रूप में नाम शामिल है। अंचल अधिकारी, बारियातु एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के आदेश में अपीलकर्त्ता सैबुन निशा का दखल–कब्जा नहीं होने एवं दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी चलने तथा मांग पंजी–II में भूमि बिक्रेता का रकबा शून्य होने की पुष्टि की गयी है। यह अपील समय–सीमा बीत जाने के बाद दायर किया गया है, जो कालबाधित है। भूमि के खतियानी रैयत युसुफ मियां है, जिनके दो पुत्र मो0 अताउल्लाह वो मो0 सोएब तथा दो पुत्री अशिया खातुन वो जमीला खातुन है। युसूफ मियां के बड़े लड़के मो0 अताउल्लाह की मृत्यु हो गयी है। मो0 अताउल्लाह अपने जीवनकाल

में हीं अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि से अधिक भूमि की बिक्री कर चुके है। मो0 अताउल्लाह दो शादी किये थे। पहली पत्नी सबरा खातुन थी, जिनकी मृत्यु वर्ष 1975 ई0 में हो गयी है। उन्ही का लड़का का नाम मो0 शमीम है, जो अपीलार्थी सैबुन निशा के पति है। पहली पत्नी के मृत्यु के बाद मो0 अताउल्लाह वर्ष 1977 में दूसरी शादी की जिनसे एक लड़का मो0 अहमदुल्लाह एवं पांच लड़की मोहम्मदी परवीन वो हिना परवीन वो रानी परवीन वो लाडली परवनी एवं रूकैया परवीन है। युसूफ मिंया के दूसरे लड़के मो0 सोएब है, जिनका लड़का मो0 मुर्शीद है, जो इस वाद की प्रतिवादी है। युसूफ मियां की लड़की आशिया खातुन की मृत्यु वर्ष 2010 में हो गयी है। वे अपने जीवनकाल में कभी भी कोई हिस्सा नहीं ली है। इनके पिता युसूफ मियां अपने जीवनकाल में ही हिस्से के अनुसार इनलोगों को राशि दे चुके है। इसलिए ये कभी भी हिस्से के लिए दावा नही किया। युसूफ मियां की दूसरी लड़की जमीला खातुन की मृत्यु वर्ष 2007 में हो गयी है। उनके पति का नाम स्व0 हबीब मियां है। अपीलार्थी सैबुन निशा उन्हीं की लड़की है। जमीला खातुन के 09 बच्चे है। जिनका नाम मो0 सुलेमान वो मो0 ऐनूल वो मो0 अनवर वो अनिशा खातुन वो मो0 ईस्लाम वो आयशा वो हपशा वो सैबुन निशा एवं मैमुन निशा है। आयशा एवं मैमुन निशा की मृत्यु हो चुकी है। युसूफ मियां के हिस्से में रकबा–3.14 एकड़ भूमि प्राप्त हुआ। युसूफ मियां के मृत्यु उपरांत युसुफ मियां के दोनों पुत्र मो0 अताउल्लाह एवं मो0 सोएब के बीच बंटवारा हुआ, जिसमें दोनों बहन आशिया खातुन

16/18

एवं जमीला खातुन द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया। क्योंकि युसूफ मियां के जीवनकाल में हीं दोनों बहन अशिया खातुन एवं जमीला खातुन अपने हिस्से की राशि ले चुकी थी। इसलिए दोनों बहनों द्वारा अपने जीवनकाल में हिस्से की दावेदारी नहीं की गयी। युसूफ मियां के भाई मो0 वलीउल्लाह जो खतियानी रैयत है। ये नावल्द थे। वे अपने जीवनकाल में दिनांक 27.09.1980 को मो0 अताउल्लाह वो मो0 सोएब वो मो0 मिनहाज को अपने हिस्से की भूमि बक्सीसनामा केवाला संख्या–1224 से बिक्री कर दिये। खाता संख्या–70, प्लॉट संख्या–504, 199, 277, 955 एवं अन्य जिसकी रजिस्ट्री वर्ष 2020 में मो0 मुर्शीद एवं मो0 अली, पिता–मो0 सोएब मियां के नाम से हो चुका है। उसी भूमि का गलत वंशावली बनाकर मो0 सुलेमान वो मो0 ऐनुल वो मो0 अनवर तीनों के पिता–मो0 हबीब मियां, ग्राम–मुरपा, थाना–बालूमाथ एवं अनिशा खातुन, पति–रसीद मियां ग्राम–ईटकी, रांची ने सैबुन निशा, पति–मो0 शमीम, ग्राम–ईटके, थाना–बारियातु के नाम वर्ष 2022 में रजिस्ट्री कर दिया, जो सरासर नाजायज है। ये लोग जमीला खातुन के बच्चे है, जबकि जमीला खातुन के लड़का मो0 इस्लाम, लड़की हपसा से सहमति नहीं लिया गया। आयशा के बच्चे से भी कोई सहमति नहीं लिया गया। मो0 अताउल्लाह द्वारा नगीना देवी को रकबा–0.97 ए0, अरशद आजमी को रकबा–0.31 ए0, मदरसा जियाउल उलूम को रकबा–0.30 एकड़, आबदा खातुन को रकबा–0.41$\frac{1}{2}$ एकड़, मो0 अख्तर वगैरह को रकबा–0.18 एकड़ एवं मदरसा ईस्लामियां अली इब्ने अबु तालिब को रकबा–0.33 एकड़ कुल

रकबा–2.50 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि केवाला के जरीये बिक्री कर चुके है, जिसका ऑनलाईन रसीद भी क्रेतागण के नाम से कट रहा है और वे लोग अपने खरीदगी भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में है। मुस्लिम कानून के अनुसार अगर युसूफ मियां के भूमि पर उनकी बेटी आशिया खातुन एवं जमीला खातुन का हिस्सा होता तो वह युसुफ मियां के दोनो पुत्रों मो0 अताउल्लाह एवं मो0 शोएब की भूमि पर होता। जबकि मो0 अताउल्लाह अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि एवं मो0 सोएब भी अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर चुके है। युसुफ मियां के दूसरे लड़के मो0 सोएब की बिक्री भूमि पर जमीला खातुन के वारिशानों द्वारा दावा करना बिल्कुल ही नाजायज, बेबुनियाद एवं अनुचित है।

अंचल अधिकारी, बारियातु के नामान्तरण वाद संख्या–27R27/2022–23 में दिनांक 28.07.2022 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–18/2023 में दिनांक 15.09.2023 को पारित आदेश को यथावत बहाल रखने हेतु अनुरोध किया गया।

दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन से प्रतीत होता है कि मो0 युसूफ मियां के दो पुत्र मो0 अताउल्लाह वो मो0 सोएब तथा दो पुत्री आशिया खातुन वो जमीला खातुन है। अपीलार्थी जमीला खातुन की पुत्री है, जो अपने सहोदर तीन भाई एवं एक बहन से बक्सीसनामा संख्या–684 वर्ष 2022 में भूमि प्राप्त किया है

विपक्षी मो0 मुर्शीद, मो0 सोएब के पुत्र है, जो विक्रय विलेख संख्या–270 वर्ष–2020 में भूमि प्राप्त किया है, जिसका नामान्तरण वाद संख्या–465R27 / 2019–20 स्वीकृत किया गया है।

विपक्षी मो0 मुर्शीद द्वारा दाखिल जवाब में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम कानून के अनुसार युसूफ मियां के भूमि पर उनकी बेटी आशिया खातुन एवं जमीला खातुन का हिस्सा होता तो वह युसुफ मियां के दोनो पुत्रों मो0 अताउल्लाह एवं मो0 शोएब की भूमि पर होता। मो0 अताउल्लाह एवं मो0 सोएब अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर चुके है।

इस प्रकार यह मामला हक–हकियत एवं बटवारा का प्रतीत होता है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार एवं अंचल अधिकारी, बारियातु को भेजे।

अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 16:20:12 +05:30
Location: 192.168.5.143